Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 107-2025/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 13, 2025 (JYAISTHA 23, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग
तथा
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 जून, 2025

संख्या 06/35/2025-4 क I.— हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उप–धारा (4) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 346 की उप–धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजपत्र, (असाधारण) दिनांक 15 नवम्बर, 2012 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/एफ.डी.पी.–2031/जीजीएन/2012/3541, दिनांक 15 नवम्बर, 2012 द्वारा अधिसूचित अन्तिम विकास योजना गुड़गांव मानेसर अर्बन कोम्पलेक्स 2031 ए.डी. को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हों, के साथ जो महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, बेज संख्या 11–14, सेक्टर 4, पंचकूला (नगर निगम सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए) तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, प्लॉट संख्या 44, सेक्टर 32, गुरूग्राम द्वारा (नगर निगम सीमा से बाहर आने वाले क्षेत्र के लिए) द्वारा किसी व्यक्ति से लिखित रूप में संशोधन प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/एफ.डी.पी.–2031/ जीजीएन/2012/3541, दिनांक 15 नवम्बर, 2012 में,–

1. 'ड्राईंग' शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"2. अन्तिम विकास योजना गुड़गांव मानेसर अर्बन कोम्पलेक्स 2031 ए.डी. ड्राईंग संख्या डीटीपी(जी) 2710/2025, दिनांक 3 जनवरी 2025." ।

2. अनुबन्ध–क में,–

क. "प्रस्तावित भूमि उपयोग" शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

" विकास योजना में यथा प्रस्तावित विभिन्न भूमि उपयोगों की सीमा को निम्न अनुसार दर्शाया गया है:–

क्रम संख्या	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	रिहायशी	16021
2	वाणिज्यिक	1616
3	औद्योगिक	4202
4	परिवहन तथा संचार	4428
5	जन उपयोगिताएं	608
6	सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक	2027
7	खुले क्षेत्र	2928
8	विशेष अंचल	114
9	रक्षा भूमि	633
10	ग्लोबल सिटी अंचल (मिश्रित भूमि उपयोग)	411
	कुल भूमि	**32988**
11	विद्यमान शहर	406
12	गांव आबादियां	478
	कुल योग	**33872";**

ख. भूमि उपयोगों का विवरण शीर्ष के नीचे,–

(i) उप–शीर्ष "3. औद्योगिक" के नीचे "4613" अंकों के स्थान पर, "4202" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप–शीर्ष "4. परिवहन तथा संचार" के नीचे,–

(क) द्वितीय पैरा के बाद, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :–

"सेक्टर 36ए में, गांव सिहि, जिला गुरूग्राम की 229.81 एकड़ माप वाली भूमि को उप कोड 410 और 420 के साथ विकास योजना ड्राईंग में दर्शाए अनुसार परिवहन तथा संचार जोन के तहत प्रस्तावित किया गया है।";

(ख) तृतीय पैरा की छठी पंक्ति में, "गांव खेडकी दौला के समीप अन्तर्राजीय बस टर्मिनल तक" शब्दो का लोप कर दिया जाएगा।

(iii) उप–शीर्ष "7. खुले क्षेत्र" में, विद्यमान द्वितीय पैरा में, "जैव–विविधता पार्क हेतू नामित किया गया है" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द, चिह्न, और अंक रखे जाएंगे, अर्थात्: –

"सेक्टर 36ए में, 231.18 एकड़ माप वाले क्षेत्र को विकास योजना ड्राईंग में दर्शाए अनुसार खुले क्षेत्र जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है।";

(iv) उप–शीर्ष "8. विशेष अंचल" के बाद, निम्नलिखित उप–शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्: –

"8 क. ग्लोबल सिटी अंचल (मिश्रित भूमि उपयोग):

सेक्टर 36, 36बी, 37 और 37बी में, 411 हैक्टेयर माप वाली भूमि को "ग्लोबल सिटी अंचल" के रूप में 300 एफएआर के साथ विकास योजना ड्राईंग में दर्शाए गए अनुसार मिश्रित भूमि उपयोग जिसे विशेष रूप से सरकारी अभिकरण अर्थात् हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। इस अंचल में गतिविधियां अर्थात् औद्योगिक, वाणिज्यिक, रिहायशी, संस्थागत, आमोद–प्रमोद तथा मनोरंजन, परिवहन तथा संचार, जन उपयोगिताएं और खुले क्षेत्र अनुज्ञेय होंगे।"।

3. अनुबंध–ख में, 'अंचल विनियम' शीर्ष में,–

(क) "ड्राईंग संख्याः *डी.टी.पी.(जी.) 2104/2012, दिनांक 09 नवम्बर, 2012*", शब्दों, अंकों, कोष्ठकों तथा चिह्नों के स्थान पर, "ड्राईंग संख्या डीटीपी(जी)2710/2025, दिनांक 3 जनवरी 2025" शब्द, अंक, कोष्ठक तथा चिह्न, प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप–शीर्ष II 'परिभाषाऐं' में, खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(च) ड्राईंग से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डीटीपी(जी)2710/2025, दिनांक 03 जनवरी 2025।";

(ग) उप–शीर्ष ''III मुख्य भूमि उपयोग/अंचल" में, –

खंड (1) में, उप–खंड (X) के बाद, निम्नलिखित उप–खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"(xi) ग्लोबल सिटी अंचल (मिश्रित भूमि उपयोग)"।

4. परिशिष्ट क में, "भूमि उपयोग का वर्गीकरण" शीर्ष के नीचे, मुख्य कोड "1000" के बाद, निम्नलिखित मुख्य कोड शीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात्: –

"1100 ग्लोबल सिटी अंचल (मिश्रित भूमि उपयोग)"।

5. परिशिष्ट–ख में, "XI प्राकृतिक संरक्षण अंचल" शीर्ष के बाद, निम्नलिखित शीर्ष तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:–

"XII ग्लोबल सिटी अंचल (मिश्रित भूमि उपयोग):– औद्योगिक, वाणिज्यिक, रिहायशी, संस्थागत, आमोद–प्रमोद तथा मनोरंजन, परिवहन तथा संचार, जन उपयोगिताएं और खुले क्षेत्र।"।

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

अपूर्व कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
AND
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 13th June, 2025

No. 06/35/2025-4CI.— In exercise of the powers conferred under sub-section (5) of section 346 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and sub-section (4) of section 5 of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the following draft further to amend the Final Development Plan 2031 AD, Gurgaon-Manesar Urban Complex, notified vide Haryana Government, Town and Country Planning Department notification No. CCP(NCR)/FDP-2031/GGN/2012/3541, dated the 15th November, 2012 and published in the Haryana Government Gazette (Extra ordinary), dated the 15th November, 2012 for the information of all the persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director General, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11-14, Sector 4, Panchkula, for the area falling within Municipal Corporation limit and the Chief Executive Officer, Gurugram Metropolitan Development Authority, Plot No. 44, Sector 32, Gurugram for the area falling outside Municipal Corporation limit, from any person in writing with respect to the draft of the amendments, before the expiry of the period so specified.

DRAFT AMENDMENT

In the Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP (NCR)/FDP-2031/GGN/2012/3541, dated the 15th November, 2012, -

1. Under the heading "Drawings", for serial number 2 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"2. Final Development Plan-2031 AD Gurugram Manesar Urban Complex bearing Drawing No. DTP (G) 2710/2025 dated the 3rd January 2025.".

2. In Annexure-A,

A. under the heading "Proposed land uses", for the existing table, the following table shall be substituted, namely:-

The extent of various land uses as proposed in the Development Plan are given as below:-

"Sr. No.	**Land use**	**Area (in Hectares)**
1	Residential	16021
2	Commercial	1616
3	Industrial	4202
4	Transport and Communication	4428
5	Public Utilities	608
6	Public and semi public	2027
7	Open spaces	2928
8	Special zone	114
9	Defence land	633
10	**Global City Zone (Mixed land use)**	**411**
	Total land	**32988**
11	Existing town	406
12	Village abadies	478
	Grand Total	**33872";**

B. Under the heading "DESCRIPTION OF LAND USES",-

(i) under sub-head (3) "Industrial", for the figure "4613", the figure "4202" shall be substituted.

(ii) under sub-head (4) "Transport and Communication",-

(a) at the end of the second para, the following para shall be inserted, namely: -

"In Sector 36A, the land measuring 229.81 acres of village Sihi, District Gurugram has been proposed under Transport and Communication Zone with sub code 410 and 420 as shown in the development plan drawing."

(b) in 5th and 6th line of third para, the words, "upto Inter State Bus Terminal proposed near village Kheri Duala" shall be omitted.

(iii) under sub-head (7) "Open Space", in second para, after the words and signs "bio-diversity park.", the following words, signs and figures shall be inserted, namely: -

"In sector 36A, significant area measuring 231.18 acres, has been proposed as Open Space Zone as shown in the development plan drawing."

(iv) after sub-head (8) "Special Zone", the following sub-head, words, signs and figures shall be inserted, namely: -

"**8A. Global City Zone (Mixed Land Use)**

In sector 36, 36B, 37 and 37B, the land measuring 411 hectare has been proposed as "Global City Zone" with 300 FAR as Mixed Land Uses, as shown in the development plan drawing, which shall exclusively be developed by the Government agency namely Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited. In this zone, the activities namely; Industrial, Commercial, Residential, Institutional, Recreation and Entertainment, Transport and Communication, Public Utilities and Open Spaces shall be permissible.".

3. In Annexure B, under heading “Zoning Regulations”,-

A. for the words, figures, brackets and signs “DTP (G) 2104/2012, dated the 9th November, 2012”, the following words, figures, brackets and signs “DTP (G) 2710/2025 dated the 3rd January, 2025” shall be substituted;

B. in serial number II, under sub-head “DEFINITIONS”, for clause (f) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(f) “Drawings” means drawing no. DTP (G) 2710/2025 dated the 3rd January, 2025.”

C. under sub-head III. **“Major land uses/zone”,** in clause (1) after sub-clause (x), the following sub-clause shall be added, namely:-

“(xi) Global City Zone (Mixed Land Use)”.

4. In Appendix A, under heading “Classification of land uses”, after main code “1000 Natural Conservation Zone”, the following main code shall be added, namely:-

“1100 Global City Zone (Mixed Land Use)”.

5. In Appendix B, after heading “(XI) Natural Conservation Zone”, the following heading and entries shall be added, namely:-

“(XII) Global City Zone (Mixed Land Use) Industrial, Commercial, Residential, Institutional, Recreation and Entertainment, Transport and Communication, Public Utilities and Open Space.”.

VIKAS GUPTA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

A. K. SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

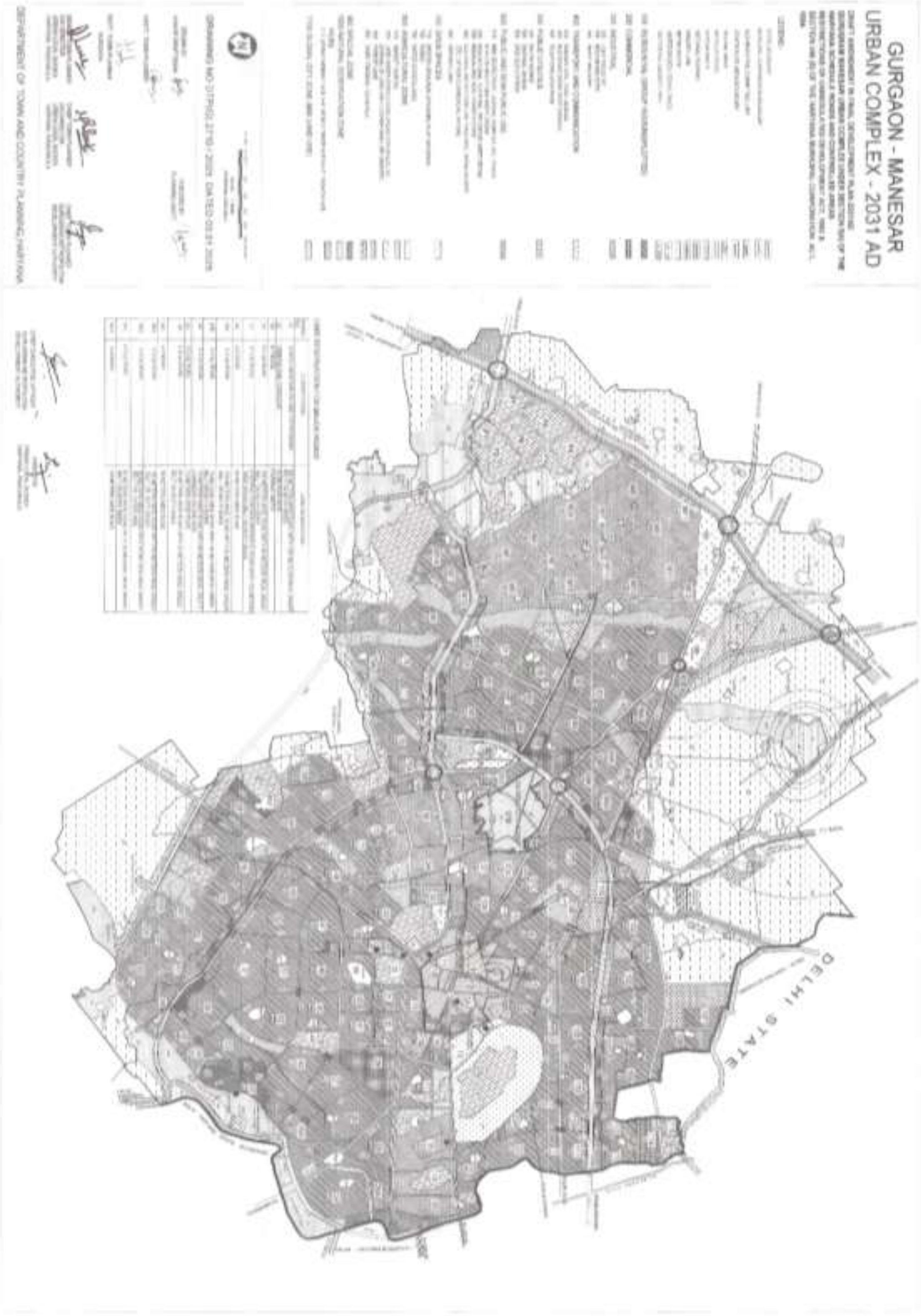
GURGAON - MANESAR
URBAN COMPLEX - 2031 AD
DELHI STATE